

**कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक ~~213904~~ / स्वशासी / स्था / अराज / एमसी / 2021 रीवा, दिनांक ~~24.9.21~~

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 20083/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 एवं याचिका क्र. 6626/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2021 के परिपालन में कार्यालयीन विज्ञापित क्र. 14615/स्वशासी/ स्था/अराज/एमसी/2019 रीवा, दिनांक 29.07.2019 के अनुक्रम में दिनांक 11.11.2020 को जारी प्रावधिक चयन सूची में से प्रवीण्यता क्रम में रहे निम्नलिखित उम्मीदवारों की नियुक्ति **स्टाफ नर्स** के पद पर अग्रिम आदेश तक वेतनमान रूपये **5200-20200+2800** के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रूपये-28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थायी रूप से एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए **सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा** में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
1.	अंकिता ठाकुर, पिता श्री अमर सिंह ठाकुर	अंजनि डुप्लेक्स, म.नं. 06, पुष्पक नगर, साई मंदिर के पास, आधारताल, जिला-जबलपुर, म.प्र., 482004	अनारक्षित
2.	प्रियंका मिश्रा, पिता श्री चंद्रमणि मिश्रा	म.नं. 10/254, यूनीवर्सिटी रोड, हनुमान मंदिर, अनंतपुर, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म.प्र., 486001	अनारक्षित
3.	व्ही. कल्याणी, पिता श्री व्ही. चंद्र राव	वॉर्ड नं. 21, बुर्हर रोड, शोहागपुर, जिला-शहडोल, म.प्र., 484001	अनारक्षित
4.	ममता देवी, पिता श्री राम चरन सिंह	ए-49, सेक्टर-02, जयंत कॉलोनी, जयंत जिला-सिंगरौली, म.प्र., 486890	अनारक्षित
5.	ज्योत्सना तिवारी, पिता श्री मुन्ना लाल तिवारी	उरमालिया हाऊस, बजरंग नगर के सामने, जिला-रीवा, म.प्र., 486001	अनारक्षित
6.	अंजलि मिश्रा, पिता श्री हरि मिश्रा	ग्राम व पोस्ट-खन्नौधी, तहसील-गोहपारु, जिला-शहडोल, म.प्र., 484770	अनारक्षित
7.	अनामिका पटेल, पिता श्री रामेश्वर	ग्राम-मोथा, तहसील-बतियागढ़, जिला-दमोह, म.प्र., 470673	अन्य पिछड़ा वर्ग
8.	मोनिका टन्टूवे, पिता श्री मोती लाल टन्टूवे	ग्राम-अमागवां, तहसील-रीठी, जिला-कटनी, म.प्र., 483990	अनुसूचित जाति
9.	किरण चौखण्डे, पिता श्री विनोद चौखण्डे	म.नं. 50, हनुमान मंदिर के पास, ग्राम-बनजारी, कोलार रोड, जिला-भोपाल, म.प्र., 462042	अनुसूचित जाति
10.	प्रीति शाक्य, पिता श्री लाल जी राम शाक्य	ग्राम-मोहरई, तहसील-कोलारस, जिला-शिवपुरी, म.प्र., 473770	अनुसूचित जाति
11.	दीक्षा डोंगरे, पिता श्री झाडूलाल डोंगरे	आई.टी.आई. रोड, ढीमर टोला, वॉर्ड नं. 01, बुधी, जिला-बालाघाट, म.प्र., 481001	अनुसूचित जाति


क्रमशः 02....

//02//

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
12.	उमा रवि, पिता श्री शारदा प्रसाद	हाउसिंग बोर्ड, कमरा नं. 10, बिरला कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस-बिरला विकास, जिला-सतना, म.प्र., 485005	अनुसूचित जाति
13.	कैलाश प्रसाद प्रजापति, पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति	ग्राम-टेढी, पोस्ट-चौबेपुर, तहसील-मझगावां, जिला-सतना, म.प्र., 485331	अनुसूचित जाति

नियुक्ति की शर्तें:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान **रूपये 5200-20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-7** में न्यूनतम वेतन रूपये-28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवार्यें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा ही स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवार्यें समाप्त की जा सकेगी।



क्रमशः 03

13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. स्टाफ नर्स की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से शायं काल 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली शायं 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक होगी। प्रमुख पारिचारिका द्वारा रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी उस पाली में ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
16. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 20083/2020 एवं 6626/2021 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(Handwritten Signature)
(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र..... स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्याकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा।
7. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 - 002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
8. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)